रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

1982

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 3, 1982 (चैत्र 13, 1904)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 3, 1982 (CHAITRA 13, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सामान्य आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं 325

भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 431

भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सामान्य आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं — —

भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 439

भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) 693

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं 1171

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) 143

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 59

भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक एवं लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं 4257

भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस 161

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन व्यक्तियों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं 93

भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 997

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस 89

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक

पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	325
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	431
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	439
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	693
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1171
PART II—SECTION 3 (iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	143
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	59
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4257
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	161
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	93
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	997
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	89
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1982

सं. 17-प्रेज/82—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री हर लाल मिल,
भूतपूर्व एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल डिलीवरी एजेंट,
मंडइ बाजार, डाकघर त्रिपुरा डिवीजन।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि . 7 जून, 1980)

7 जून, 1980 की सुबह त्रिपुरा के एक छोटे से कस्बे मंडइ में तनाव फैल रहा था। दोपहर को तीर-कमानों, टकलों और बंदूकों से लैस आदिवासियों के झुंड बाड़ामूरा पहाड़ियों से आए और वहां पर बंगालियों के घरों और दुकानों को आग लगानी शुरू कर दी। इन घुसपैठियों की बड़ी संख्या को देखकर बंगाली एक पुलिस चौकी के पास इकट्ठे हो गए जहां वायरलैस की व्यवस्था थी, और वहीं एक तरह का एक छोटा कैंप बन गया। काफी रात बीतने पर जब पुलिस कर्मचारी अगरतल्ला में स्थित पुलिस मुख्यालय को सम्भावित खतरे के विषय में पूरी तरह अवगत कराने में असफल हो गए और इन्हें कुमुक मिलने की कोई आशा नहीं रही तो सम्भवतः कुमुक की व्यवस्था करने के लिए वे वहां से चले गए। एक पुलिस कार्मिक जो आदिवासी था, अपनी बंदूक और गोलाबारूद सहित आदिवासियों से जा मिला। इस तरह निहत्थे बंगाली निस्सहाय रह गए।

डाकतार विभाग का एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट 23 वर्षीय बंगाली युवक, श्री हर लाल मिल ने पुलिस कर्मचारियों को वायरलैस से संदेश भेजते देखा था। पुलिस के चले जाने के बाद श्री मिल "तुरन्त सहायता के लिए" वायरलैस पर तब तक संदेश भेजते रहे जब तक कि एक आदिवासी की गोली ने उन्हें अपना शिकार नहीं बना लिया। आदिवासियों ने अगले दिन सुबह-सुबह श्री मिल के परिवार के 9 सदस्यों समेत 322 बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया।

श्री हर लाल मिल ने इस प्रकार दूसरों की जान बचाने के प्रयास में असाधारण पहलशक्ति, सूझ-बूझ और उत्कृष्ट शौर्य का परिचय दिया।

2. जी/नं 153756 सुपरिन्टेंडेंट बिल्डिंग एंड रोड ग्रेड-II,
अमल कुमार माजी। (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 11 अगस्त, 1980)

9 अगस्त, 1980 को भारी भू-स्खलन होने के कारण लेखाबली-आलोंग सड़क पर यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया था। 433 रोड मेंटेनेंस प्लाटून के, जी./153756 सुपरिन्टेंडेन्ट बिल्डिंग एंड रोड ग्रेड-II अमल कुमार माजी ने वहां से मिट्टी हटाकर सड़क साफ करने का काम संभाला और अपने साथियों के साथ सुबह से शाम तक लगातार काम करके निर्धारित समय से पहले ही सड़क साफ कर दी।

11 अगस्त को 11 बजे के लगभग जब डोजर कार्य के अंतिम चरण पर लगा हुआ था और गड्ढों को भरते हुए मजदूर कार्य समाप्त कर रहे थे तो अचानक भू-स्खलन से पहाड़ नीचे खिसकने लगा। अपनी जान बचाने के लिए श्री अमल कुमार माजी के पास काफी समय था किन्तु अपनी जान की परवाह न करते हुए और वहां पर काम कर रहे अन्य कार्मिकों की जान बचाने के ध्येय से वह उन्हें चेतावनी देते रहे कि वहां से वे जान बचा कर भाग जायें। इस तरह उन्होंने 22 व्यक्तियों की जानें बचाईं। इसके बाद जब उन्होंने वहां से हटने का प्रयत्न किया तो बहुत देर हो चुकी थी और एक भारी शिला खण्ड उन पर गिरा जिससे वे घाटी में लगभग 500 फुट नीचे लुढ़क गए और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

श्री अमल कुमार माजी ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, प्रेरक नेतृत्व, दृढ़ निश्चय तथा असाधारण कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

3. मेजर राम सिंह सहारन (आई. सी. 26569)
जाट रेजिमेंट।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 8 अक्तूबर, 1980)

अप्रैल, 1980 के दौरान इम्फाल शहर और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों की स्थिति राष्ट्रविरोधियों की गतिविधियों के कारण बिगड़ गई थी। गैर-कानूनी गतिविधियों, जिनमें मणिपुर के पूर्वी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियारबन्द हमले भी शामिल थे, में लगे हुए एक राष्ट्रविरोधी गिरोह के अड्डे को नष्ट करने का कार्य एक कम्पनी के आफिसर कमांडिंग मेजर राम सिंह को सौंपा गया। सूचना मिली थी कि इस गिरोह के पास राइफलें, स्टेनगन, शाटगन और हथगोले मौजूद थे। 7 अक्तूबर, 1980 को मेजर राम सिंह सहारन और उनकी सहायक टुकड़ी को उस संदेहास्पद क्षेत्र के समीप हैलिकाप्टर से उतारा गया।

8 अक्तूबर, 1980 को मेजर राम सिंह सहारन इन राष्ट्र-विरोधियों के अड्डे का पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए चल पड़े। इन्होंने इस क्षेत्र को छान मारा और उनके गढ़ को खोज निकाला और उसमें प्रवेश करके वहां रह रहे व्यक्तियों को चकित कर दिया। इन्होंने उनके गढ़ की तीन तरफ से नाकाबंदी की ताकि राष्ट्रविरोधी भाग न सकें। चौथी ओर से राष्ट्रविरोधियों की भारी गोलाबारी के बावजूद वे हमले में अपने दल का नेतृत्व करते आगे बढ़ते गए। अपने प्राणों की भी

परवाह किए बिना मेजर राम सिंह सहारन ने अपना हमला पूरे जोर से जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप हथियार और गोला बारूद बरामद करने के अलावा 8 विद्रोही मारे गए और 2 पकड़ गए।

इस कार्रवाई में मेजर राम सिंह सहारन ने अपने कर्त्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, अनुकरणीय साहस, दृढ़ निश्चय और सूझ-बूझ का परिचय दिया।

4. 2672854 ग्रेनेडियर गोपाल सिंह,
ग्रेनेडियर्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 24 जून, 1981)

ग्रेनेडियर गोपाल सिंह उस टास्क फोर्स के सदस्य थे जिसे विरोधियों के कैम्प पर आक्रमण करके, उसे नष्ट करने का आदेश दिया गया था।

24 जून, 1981 को लगभग 10-30 बजे जबकि विरोधियों के कैम्प के एक भाग पर कब्जा कर लिया गया था परन्तु वहां एक घर से भारी संख्या में स्वचालित शस्त्रों से चलायी जाने वाली गोलियों के कारण सेना की टुकड़ी का आगे बढ़ना रुक गया था। घरों पर धावा बोलते समय ग्रेनेडियर गोपाल सिंह और ग्रेनेडियर बजरंग सिंह के साथ ग्रेनेडियर ओम प्रकाश घायल हो गये। अपने साथी को घायल देख कर और गोलियों की बौछारों को रोकना जरूरी समझ कर, ग्रेनेडियर गोपाल सिंह और ग्रेनेडियर बजरंग सिंह ने घरों पर धावा बोल दिया और वे एक विरोधी को जान से मारने के बाद गोलियों की बौछार को रोकने में सफल हो गए। पर इस कार्रवाई के दौरान ग्रेनेडियर गोपाल सिंह को एक गोली लगी और वे बुरी तरह घायल हो गए। सुरक्षित स्थान पर ले जाते समय बीच रास्ते में ही घावों के कारण इनकी मृत्यु हो गई।

ग्रेनेडियर गोपाल सिंह ने इस प्रकार उत्कृष्ट साहस, असाधारण वीरता और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

5. 2668238 ग्रेनेडियर बजरंग सिंह,
(मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 24 जून, 1981)

24 जून, 1981 को ग्रेनेडियर बजरंग सिंह एक टास्क फोर्स के सदस्य थे जिसे विरोधियों के कैम्प पर छापा मारने और उसे नष्ट करने का आदेश दिया गया था। लगभग 10.30 बजे जबकि विरोधियों के कैम्प के एक भाग पर कब्जा कर लिया गया था तो वहां एक घर से भारी संख्या में स्वचालित शस्त्रों से चलायी जाने वाली गोलियों के कारण सेना की टुकड़ी का आगे बढ़ना रुक गया और ग्रेनेडियर ओम प्रकाश, जो ग्रेनेडियर बजरंग सिंह और ग्रेनेडियर गोपाल सिंह के साथ था घायल हो गया। अपने साथी को घायल देखकर और यह समझ कर कि विरोधियों की गोली बारी को बन्द करना जरूरी है, ग्रेनेडियर बजरंग सिंह और ग्रेनेडियर गोपाल सिंह ने उस मकान पर धावा बोल दिया और एक विरोधी को जान से मारने के बाद स्वचालित शस्त्रों से चलायी जाने वाली गोलियों को बन्द करने में सफल हो गये। इस कार्रवाई के दौरान ग्रेनेडियर बजरंग सिंह स्वचालित हथियारों से चलायी जाने वाली गोलियों की एक दनदनाहट से गम्भीर रूप से घायल हो गये। इसके बावजूद उन्होंने विरोधियों पर गोली चलाना जारी रखा। उनकी निर्भीक जवाबी कार्रवाई के फलस्वरूप भारी हथियारों से लैस विरोधी भय कम्पित हो उठे और हड़बड़ाहट में भाग खड़े हुए। बाद में ग्रेनेडियर बजरंग सिंह की घावों के कारण मृत्यु हो गई।

ग्रेनेडियर बजरंग सिंह ने इस प्रकार उत्कृष्ट साहस, असाधारण वीरता और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

6. कर्नल नरेन्द्र कुमार (आई०सी० 6729) पी० वी० एस० एम०, ए०वी० एस० एम०, इन्फैन्ट्री।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि: 2 जुलाई, 1981)

1981 के वसंत में सेना ने अपना एक अभियान दल सियाचन हिमनद भेजा। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में बाहर हिमालय और पूर्वी काराकोरम के मध्य में संसार का सबसे लम्बा हिमनद है। सासोमा से 40 किलोमीटर की नुब्रा घाटी से उबड़-खाबड़ चढ़ाई तय करके सियाचन का महाना आता है और 80 किलोमीटर की दुर्गम दूरी और तय करने पर हिमनद का उद्गम "इन्दिरा कोल" आता है, जो भारत उप महाद्वीप और मध्य एशिया के बीच की जल विभाजक सीमा पर है। सुविख्यात पर्वतारोही कर्नल नरेन्द्र कुमार पी० वी० एस० एम०, ए० बी० एम० एम० के नेतृत्व में 150 व्यक्तियों का यह काराकोरम अभियान दल इस क्षेत्र में 28 मई, 1981 से 18 अगस्त, 1981 तक करीब तीन महीने रहा।

उबड़-खाबड़ और अगम्य बर्फीले इलाकों को पार करते हुए, सभी दल "इन्दिरा कोल" पहुंचा और सियाचन तलहटी के सभी दर्रों की टोह का काम किया उस दल ने सबसे पहले सिया कांगरी चोटी पर चढ़ाई की। इस चढ़ाई का आखिर का 700 फुट का भाग तो तिरछी बर्फीली खड़ी चट्टान की शक्ल में था। इस चोटी पर चढ़ने की पहली कोशिश नाकामयाब रही। अत्यन्त शांत-चित्त रहकर और अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अपने जीवन की रक्षा की परवाह न करते हुए कर्नल नरेन्द्र कुमार ने शुरू की 100 फुट की बर्फीली चढ़ाई अकेले ही तय की और तब दल को ऊपर चढ़ने के लिए एक रस्सा नीचे फेंका। इस अनुकरणीय नेतृत्व से चोटी पर आरोहण संभव हुआ।

2 जुलाई, 1981 को "इन्दिरा कोल" पर आरोहण के बाद दल का एक सदस्य 19,000 फुट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर ऊंचाई में होने वाली बीमारी के कारण अस्वस्थ हो गया। चिकित्सा का प्रबन्ध वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। तेज आंधी का सामना करते हुए और अनेक बर्फीली दरारों और एक खतरनाक और संकरे बर्फ के पुल को पार करते हुए कर्नल नरेन्द्र कुमार उस बीमार आदमी को स्ट्रेचर में ले आए और इस प्रकार उसके जीवन की रक्षा की

सलटोरी कंगरी (25,400 फुट) के आरोहण में, कर्नल नरेन्द्र कुमार ने परस्पर सहयोग से मिलकर काम करने, नेतृत्व और व्यावसायिक पर्वतारोहण का एक और कीर्ति-स्तम्भ कायम कर दिया । चोटी पर पहुंचने के दो असफल प्रयासों के बाद दल पहाड़ों की ऊंचाई पर होने वाली बीमारी से काफी त्रस्त हो चुका था । फिर भी कर्नल कुमार ने उस भीम-काय पर्वत के आगे हार न मानी और अन्त में 2 अगस्त, 1981 को उस चोटी पर चढ़ने में सफल हो गए ।

कर्नल नरेन्द्र कुमार ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व तथा असाधारण साहस का परिचय दिया ।

7. 13735590 लांस नायक रवि सिंह,
जाक राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 6 जुलाई, 1981)

लांस नायक रवि सिंह उस कालम के सदस्य थे, जिसे 6 जुलाई 1981 को मणिपुर के मध्य जिले के इलाके में उग्रवादियों के दल को पकड़ने के लिये भेजा गया था । इस कार्रवाई के दौरान लांस नायक रवि सिंह को एक भागते हुए उग्रवादी को पकड़ने का आदेश दिया गया और बाद में पता लगा कि वह उग्रवादी संगठन का नेता था । जब लांस नायक रवि सिंह उस उग्रवादी का पीछा कर रहे थे तब उन पर स्वचालित हथियारों से अति निकट से गोलियों की बौछार की गई । अपने प्राणों की जरा भी परवाह न करते हुए इन्होंने एक उग्रवादी को तो जान से मार दिया और संगठन के नेता को जिन्दा ही पकड़ लिया ।

लांस नायक रवि सिंह ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और असाधारण कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

8. लेफ्टिनेंट कर्नल रामप्रसाद सिंह (आई० सी०-14287एन)
जाक राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 6 जुलाई, 1981)

27 जून, 1981 को मणिपुर के मध्य जिले के क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर काबू पाने का काम लेफ्टिनेंट कर्नल रामप्रसाद सिंह की कमान में एक इन्फैन्ट्री बटालियन को सौंपा गया । एक कारगर आसूचना संगठन की स्थापना करके लेफ्टिनेंट कर्नल रामप्रसाद सिंह ने इस क्षेत्र में उग्रवादियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में काफी जानकारी प्राप्त की । 6 जुलाई, 1981 को उन्हें सूचना मिली कि किसी इलाके में कुछ सशस्त्र विरोधियों के बार-बार आने-जाने का तांता लगा हुआ है । जनरल अफसर कमांडिंग की अनुमति लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल रामप्रसाद सिंह ने उस रात विशेष रूप से कार्रवाई करने की योजना बनाई । लेकिन दिन के उत्तरार्द्ध में इन्हें एक अन्य इलाके में कुछ संदिग्ध उग्रवादियों की हलचलों की सूचना मिली । शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता को समझ कर लेफ्टिनेंट कर्नल रामप्रसाद सिंह ने दिन में ही कार्रवाई करने का फैसला किया और फौरन मैकिण्ड लफ्टिनेंट साइरस एड़ी पीठावाला के नेतृत्व में दोपहर को ढाई बजे एक कम्पनी कालम को रवाना कर दिया । इसके बाद उन्होंने कुछ और जवान इकट्ठे किए और दल-दले भू-भाग में गुजर कर कार्रवाई का खुद संचालन किया । शाम के करीब छः बजे जब वे अपने लक्ष्य से 2 किलोमीटर दूर थे तो उन्होंने गोली चलने की आवाजें सुनी और वे तुरन्त इलाके को घेरा डालने के लिये आगे बढ़े । उस क्षेत्र में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मैकिण्ड लैफ्टिनेंट साइरस एड़ी पीठावाला घायल हो चुके थे और मुठभेड़ में एक कुख्यात उग्रवादी पकड़ लिया गया था एवं चार दूसरे उग्रवादी मारे जा चुके थे । अपनी चिन्ता किए बिना लैफ्टिनेंट कर्नल रामप्रसाद सिंह उन अन्य उग्रवादियों के बिल्कुल निकट पहुंचे, जो अभी तक गोली चला रहे थे और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिये कहा । कोई जवाब न पाकर और उनके लगातार प्रतिरोध को देखते हुए उन्होंने खुद ही इलाके को छान डालने के काम का संचालन किया । इस पूरी कारवाई में 2 उग्रवादी जिन्दा पकड़ लिये गये, 7 मार दिये गए और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद अधिकार में ले लिया गया ।

इस कार्रवाई में लैफ्टिनेंट कर्नल रामप्रसाद सिंह ने नेतृत्व, पहल-शक्ति, साहस और असाधारण कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

9 फ्लाइट लैफ्टिनेंट शंकर अय्यर चन्द्रशेखर (13436)
(मरणोपरांत)
प्रशासन ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 21 नवम्बर, 1981)

21 नवम्बर, 1981 को, फ्लाइट लैफ्टिनेंट शंकर अय्यर चन्द्रशेखर (13436), प्रशासन, अपनी वार्षिक छुट्टी पर, लखनऊ-झांसी एक्सप्रेस से मद्रास जा रहे थे और अन्य तीन यात्रियों सहित प्रथम श्रेणी में सफर कर रहे थे । रात को करीब 11.30 बजे, जब गाड़ी कानपुर से 59 किलोमीटर की दूरी पर मलाना और लालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच थी, चार सशस्त्र लुटेरे जबरदस्ती इनके डिब्बे में घुस आये । उन्होंने एक यात्री को चाकू मारा । शोरगुल में फ्लाइट लैफ्टिनेंट चन्द्र शेखर जाग उठे और घायल व्यक्ति की सहायता के लिये पुकार सुनकर वे अपनी बर्थ से कूद पड़े और सशस्त्र लुटेरों से भिड़ गए और साथ ही साथ खतरे की जंजीर खींचने की भी कोशिश करने लगे । इस मौके पर उन घुसपैठियों में से एक ने देसी रिवाल्वर से इनको दाईं कनपटी पर बहुत ही करीब से गोली चलाकर इन्हें तत्काल जान से मार दिया । इनके फौरन बाद, सशस्त्र, लुटेरे दूसरे यात्रियों को और नुकसान पहुंचाए बिना, अंधेरे में बच निकले ।

फ्लाइट लफ्टिनेंट चन्द्रशेखर ने जिन परिस्थितियों में अपने जीवन की आहुति दी प्रकट रूप में वे ऐसी थी कि केवल कोई "आत्म से परे सेवा" भाव की उच्चतम परम्पराओं से ओत-प्रोत अत्यधिक साहसी व्यक्ति भी ऐसे समय पर कर सकता है । इस बात की पूरी तरह समझते हुए कि वे घातक हथियारों से लैस उद्दण्ड व्यक्तियों के गिरोह का सामना कर रहे थे और जो हथियारों का प्रयोग करने

में हिचकिचा नहीं रहे थे, फ्लाइट, लैफ्टिनेंट चन्द्रशेखर ने वायु सेना के सुप्रशिक्षित तथा अनुशासित सदस्य के रूप में त्वरित गति से जबावी कार्रवाई की

सारी घटना के दौरान फ्लाइट लैफ्टिनेंट शंकर अय्यर चन्द्रशेखर ने उत्कृष्ट वीरता और उच्चतम कोटि के साहस का परिचय दिया और भारतीय वायुसेना की श्रेष्ठ परम्पराओं के अनुरूप अपने जीवन का बलिदान दिया ।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप-सचिव

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 1982

संख्या 10/1/82-सी. एस.-।।—कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1982 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड-ग, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ग" के लिये प्रवर सूचियों में सम्मिलित करने के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

2. प्रवर सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी।

भरी जानी वाली रिक्तियों में, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951) (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा-संशोधित (संविधान) जम्मू और काश्मीर (अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा-संशोधित, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन-जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जन-जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ही ली जाएगी।

4. किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. पात्रता की शर्तें—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का श्रेणी "घ" या श्रेणी ।।। का नियमित रूप से नियुक्त कोई भी ऐसा स्थायी अथवा अस्थायी अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो परीक्षा में बैठने का पात्र होगा। अर्थात केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे और भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड ।।। के आशुलिपिक भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड ।। की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "घ" के आशुलिपिक रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ग" की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे।

(क) सेवा की अवधि—इस सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड ।।। में निर्णायक तारीख अर्थात 1-1-1982 को उनकी कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित और निरन्तर सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी—ग्रेड-घ के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, और जिनका केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-।।। में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।

परन्तु यदि वह केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप-संवर्ग की श्रेणी-।।।/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी में "घ" प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए और उस श्रेणी में उसकी कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा होनी चाहिए।

(ख) आयु—उसकी आयु पहली जनवरी, 1982 को 50 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। अर्थात वह 2 जनवरी, 1932 से पहले पैदा नहीं हुआ हो।

(ग) ऊपर लिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(2) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 26 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का हो और बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ हो और पहली जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 26 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(4) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(6) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(7) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तथा केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(8) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(9) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(10) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(11) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(12) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(13) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्युक्त किये गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों,

(14) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया है, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(15) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो और वह किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक।

उपर्युक्त बातों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु-सीमा में और किसी हालत में छूट नहीं दी जाएगी।

(ख) आशुलिपिक परीक्षा:—जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ग्रेड-।।। में स्थायीकरण, या बने रहने के प्रयोजन के लिए आयोग की आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिल गई हो, उसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उससे पूर्व यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिए।

टिप्पणी:—ग्रेड-घ या ग्रेड-।।। के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनका इस सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-।।। से धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों, वे परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे तथा यह बात ग्रेड-घ/ग्रेड-।।। में उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होती है जो स्थानान्तरित रूप में संवर्ग बाह्य पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किये गए हों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ग्रेड-।।। में धारणाधिकार न रखते हों।

5. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

7 उम्मीदवार को आयोग की विज्ञप्ति के पैरा 5 में निर्धारित शुल्क देना होगा।

8. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(8) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(9) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये :—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

9. परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अन्तिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता क्रम की चार अलग सूचियां बनाई जायेंगी और उसी क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त समझेगा, उनके नाम अपेक्षित संख्या तक, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये सिफारिश करेगा।

परन्तु यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक समान मानक के आधार पर रिक्तियां न भरी जा सकें तो आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए मानक में ढील देकर सिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा की योग्यता सूची में उनका कोई भी रैंक क्यों न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की चयन सूची में शामिल करने के लिये योग्य हों।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेड-ग/ग्रेड ।।, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की प्रवरण सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जायें, इसका निर्णय करने के लिये सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिये कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिये गये निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही जाये।

10. हर एक उम्मीदवार के परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में सफलता से चयन का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी, ऐसी छानबीन के बाद जो आवश्यक समझी जाए, संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार, सेवा में अपने चरित्र के विचार से, चयन के लिये सब प्रकार से उपयुक्त है।

12. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग-पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवायें उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेड-।।। या सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ में धारणाधिकारी न हों, वह इस परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तथापि यह ग्रेड-घ/ग्रेड-।।। के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होगा, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी

नि:संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका

एच. जी. मंडल
अवर सचिव

लिखित परीक्षा के विषय, तथा प्रत्येक के लिये दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय, दिया गया समय और पूर्णांक

(1) सामान्य अंग्रेजी, 1½ घंटे—50

(2) निबन्ध, 1½ घंटे—50

(3) सामान्य ज्ञान, 3 घंटे—100

भाग ख—हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए) 200

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकण मशीन से लिप्यंतरित करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी मशीन लानी होगी।

भाग ग—ऐसे उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किए जाएंगे, अधिकतम 100 अंक

2. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि की परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची में दिये गये के अनुसार होगी।

3. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (II) निबन्ध और (III) सामान्य ज्ञान का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने की छूट है और उपर्युक्त दोनों प्रश्न पत्रों के लिए एक ही माध्यम (अर्थात् हिन्दी या अंग्रेजी) को चुनना होगा जो उम्मीदवार इन दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपिक की परीक्षा भी केवल हिन्दी में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार प्रश्न पत्रों को अंग्रेजी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपिक की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी। सभी उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (I) सामान्य अंग्रेजी का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा।

टिप्पणी 1 :—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में (II) निबन्ध तथा (III) सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों का उत्तर तथा आशुलिपिक की परिक्षाओं में हिन्दी में लिखने के इच्छुक हों, में यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 6 में लिखें, अन्यथा यह माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपिक की परीक्षायें अंग्रेजी में लिखेगा। एक बार का विकल्प अंतिम समझा जाएगा, और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2 :—ऐसे उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के बाद जो आशुलिपिक की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे, अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपिक की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप से सीखनी पड़ेगी।

टिप्पणी 3 :—जो उम्मीदवार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपिक की परीक्षाएं देने के लिये विदेश में किसी ऐसे भारतीय मिशनों में जहां ऐसी परीक्षाएं लेने के आवश्यक प्रबंध हों, जाना पड़ सकता है।

टिप्पणी 4 :—उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उसके अलावा अन्य किसी भाषा में उत्तर लिखने अथवा आशुलिपिक की परीक्षा देने पर कोई मान्यता नहीं दी जाएगी

4. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से क्रम में ऊपर होंगे। प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवरता अनुसार रखा जाएगा। (निम्नलिखित अनुसूची का भाग (ख) देखें)।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

7. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपिक परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किये गये न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

8. केवल सतही ज्ञान के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

9. अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट लिये जायेंगे।

10. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेषतया लाभ दिया जाएगा कि भावाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हों।

अनुसूची

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण

(भाग—क)

टिप्पणी :—भाग "क" के प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की "मैट्रीकुलेशन" परीक्षा का होता है।

सामान्य अंग्रेजी :—यह प्रश्न-पत्र इस रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने का उनकी योग्यता की जांच हो जाए। अंक देते समय वाक्य विन्यास/सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा कौशल को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न पत्र में निबन्ध लेखन, सार लेखन, मसौदा लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों

और उपसर्ग (प्रोणेजीशन), डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किये जा सकते हैं।

निबन्ध :—कई निर्धारित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

सामान्य ज्ञान :—निम्नलिखित विषयों का कुछ ज्ञान—भारत का संविधान, पचवर्षीय योजनायें, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामान्य घटनायें, सामान्य विज्ञान तथा दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तर से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है। उनके उत्तरों से किसी पाठ्य पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(भाग ख)

आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षायें होंगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करनी होगी।

हिन्दी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षायें होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करनी होगी।

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 1982

संकल्प

सं. 22-1/81-एल. डी. टी.—इस मंत्रालय के दिनांक 16-1-1978 के संकल्प संख्या 22-1/77-एल. डी. टी. तथा बाद में समय-समय पर किए गए संशोधनों के क्रम में भारत सरकार ने गोसंवर्धन सलाहकार परिषद् को 1 जनवरी, 1981 से तीन वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।

गोसंवर्धन सलाहकार परिषद् की संरचना

अध्यक्ष

1. कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि भवन, नई दिल्ली।

उपाध्यक्ष

2. राज्य मंत्री (कृषि और ग्रामीण विकास), कृषि भवन, नई दिल्ली।

सदस्य

1. सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. अपर सचिव (सी.सी.टी.), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (डेरी विकास) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. पशुपालन आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. उप-महानिदेशक (ए. एस.) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. पशुपालन निदेशक, केरल सरकार, त्रिवेंद्रम।
8. पशुपालन निदेशक, जम्मू व कश्मीर सरकार, जम्मू।
9. पशुपालन निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
10. पशुपालन निदेशक, बिहार सरकार, पटना।
(राज्य सरकारों से नामांकन क्रम संख्या 7–10 पर दिए गए पशुपालन निदेशक/पशु-चिकित्सा सेवाएं प्रति वर्ष बारी-बारी से किया जाएगा)

निम्नलिखित संस्थानों से प्रत्येक से एक-एक नामजद प्रतिनिधि :

11. अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द।
12. सचिव, भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, डरली कंचन (महाराष्ट्र)।
13. सचिव, सर्व सेवा संघ, गोपुरी, वर्धा (महाराष्ट्र)।
14. सचिव, स्टेट फेडरेशन आफ गोशाला एण्ड पिंजरापोल्स, अहमदाबाद (गुजरात)।
15. सचिव, अखिल भारतीय गोशाला-संघ, चन्द्रलोक जयपुर (राजस्थान)।
16. सचिव, गोशाला-संघ, मध्य प्रदेश, भोपाल।
17. सचिव, स्टेट गोशाला पिंजरापोल्स फेडरेशन, सदाकत आश्रम, पटना (बिहार)।
18. सचिव, आन्ध्र प्रदेश स्टेट फेडरेशन आफ गोशाला एण्ड पिंजरापोल्स, 4-1-363 हनुमान तांकड़ी, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
19. महा सचिव अखिल भारतीय गऊ संरक्षण परिषद्, एस. सी. एफ. 42, सैक्टर-30-सी, चण्डीगढ़।
20. सचिव, राजस्थान गोसेवा संघ, बीकानेर (राजस्थान)।
21. सचव, पश्चिम बंग कृषि-गोसेवा संघ, कलकत्ता।
22. सचिव, कर्नाटक दक्षिण भारत कृषि गोसेवा संघ, बंगलौर।
23. श्री राम सिंह प्रबन्धक, श्री दयानन्द गोशाला, रामपुरा, रिवाडी (हरियाणा)।
24. स्वामी योगेश्वर विदेही हरि जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय गऊ संरक्षण परिषद्, सनातन धर्म मंदिर, अशोक नगर, दिल्ली।
25. स्वामी भीष्मजी, भीष्म भवन, घरौंदा, जिला करनाल (हरियाणा)।
26. श्री बाल विजय, आचार्य विनोबा भावे जी के सचिव, पवनार आश्रम, सेवा ग्राम, जिला वर्धा (महाराष्ट्र)।

27. श्री एन. एस. एस, मनरादियार, आई. डी/3, कालेज रोड, मद्रास।

28. दो संसद सदस्य (संसद के दोनों सदनों में
29. से एक-एक)।

सदस्य-सचिव

30. संयुक्त आयुक्त (एल. पी.), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय और अन्य संबंधित संगठनों को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी. एस. कोहली
अपर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
नयी दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1982

संकल्प

सं. ई. आर, बी.-1/81/21/41—भारत सरकार ने श्री एच. सी. सरीन को, उनके 12-5-81 के समसंख्यक संकल्प के अधीन गठित रेल सुधार समिति के अध्यक्ष के रूप में, श्री बी. डी. पाण्डेय, जो त्यागपत्र दे चुके हैं, के स्थान पर नियुक्त करने का विनिश्चय किया है।

हिम्मत सिंह
सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January, 1982

No 17-Pres./82.—The President is pleased to approve the award of the 'KIRTI CHAKRA' to the undermentioned persons for acts of conspicuous gallantry :—

1. Shri Hara Lal Sil, (*Posthumous*)
Formerly Extra Departmental Delivery Agent,
Mandai Bazar P.O., Tripura Division.
(Effective date of Award : 7th June, 1980).

On the morning of June 7, 1980, there was tension in Mandai, a small town in Tripura. At noon, scattered groups of tribals descended from the Beramura Hills, armed with bows, arrows, takkalas and guns and began setting fire to the shops and houses of the Bengali residents. Realising the strength of the intruders, the Bengalis assembled near a police post equipped with wireless set, and a sort of impromptu camp came up. At late hours, the policemen, having failed to impress upon the Police HQ at Agartala about the impending danger and having lost the hope of getting extra forces, left the place, perhaps to arrange for reinforcement. One of the Policemen who was a tribal defected to the tribals along with his gun and ammunition Thus the unarmed Bengalis were left at the mercy of the tribals.

A 23-year old Bengali youth, Shri Hara Lal Sil, an Extra Departmental Agent of P&T Department, had watched the police using the wireless set. After they left, he began sending out SOS messages on it asking for help till a gun shot from a tribal silenced him for ever. In early hours of the next morning, the tribals massacred some 322 Bengalis including 9 members of his family.

Shri Hara Lal Sil thus displayed extraordinary initiative resourcefulness and conspicuous bravery in making efforts to save others.

2. G/No. 153756 Superintendent Buildings and Roads Grade II, Amal Kumar Maji. (*Posthumous*)
(Effective date of Award : 11th August, 1980).

On the 9th August, 1980, a huge land slide occurred blocking the traffic completely on road Lekhabali-Along. G/153756 Superintendent Building and Roads Grade II Amal Kumar Maji of 433 Road Maintenance Platoon took charge of the slide-clearance, worked with his men continuously from dawn to dusk and got the slide cleared well ahead of the expected time.

At about 1100 hours on 11th August while dozer was working its last run and the labourers were giving the finishing touches by filling pot holes, a huge mass of hill started coming down suddenly. There was enough time for Shri Amal Kumar Maji to run for his personal safety but in utter disregard to his personal safety and with a view to saving the lives of other personnel working at the site, he kept on warning them to run for their safety. He thus saved the lives of 22 persons. By the time Shri Amal Kumar Maji tried to leave the place himself, it was too late and he was hit by big boulders which sent him dead about 500 ft. down into the valley.

Shri Amal Kumar Maji thus displayed conspicuous gallantry, inspired leadership, determination, courage and exceptional devotion to duty.

3. Major Ram Singh Saharan (IC 26569),
The Jat Regiment.

(Effective date of Award : 8th October, 1980)

In April 1980 the situation in and around Imphal town had deteriorated on account of the activities of insurgents. Major Ram Singh Saharan, Officer Commanding of a Company, was assigned the task of destroying the hide-out of a gang of insurgents who were carrying out unlawful activities which included armed raids along the international Border in Manipur East Area. The gang was reportedly armed with rifles, sten guns, shot guns and granades. Major Ram Singh Saharan, along with his sub unit was lifted by helicopter and concentrated near the suspected area on 7th October, 1980.

On the 8th October, 1980, Major Ram Singh Saharan set about to locate the insurgents' hide-out and destroy it. He combed the area, located the camp and succeeded in entering it to the surprise of the inmates. He blocked three sides of the Camp with a view to preventing escape. From the fourth side, he led his party into assault against heavy fire from the insurgents. Unmindful of his personal safety, Major Ram Singh Saharan relentlessly progressed his assault which resulted in killing of 8 insurgents and apprehension of two, besides seizure of arms and ammunition.

In this action, Major Ram Singh Saharan displayed complete dedication to duty, exemplary courage, determination and presence of mind.

4. 2672854 Grenadier Gopal Singh, (*Posthumous*)
Grenadiers.
(Effective date of Award : 24th June, 1981)

Grenadier Gopal Singh was part of the Task Force detailed to raid and destroy a hostile camp.

On the 24th June, 1981, at about 10 30 hours, after a part of a hostile camp had been captured further advance of the column was held up due to heavy volume of auto-

matic fire from one of the houses. Grenadier Om Parkash, who was with Grenadier Gopal Singh and Grenadier Bajrang Singh while charging the houses, was wounded. On seeing the wounded comrade and realising the importance of silencing the fire, Grenadier Gopal Singh and Grenadier Bajrang Singh charged the house and succeeded in silencing the fire, after killing one hostile. In the process Grenadier Gopal Singh was hit by a bullet sustaining severe wounds. He succumbed to his injuries during evacuation.

Grenadier Gopal Singh thus displayed conspicuous courage, exceptional bravery and devotion to duty of a high order.

5. 2668238 Grenadier Bajrang Singh, (*Posthumous*)
Grenadiers.

(Effective date of Award : 24th June, 1981)

On the 24th June, 1981, Grenadier Bajrang Singh, was part of a Task Force detailed to raid and destroy a hostile camp. At about 10.30 hours, after a part of a hostile camp had been captured, further advance of the column was held up due to heavy volume of automatic fire from one of the houses and Grenadier Om Prakash, who was with Grenadier Bajrang Singh and Grenadier Gopal Singh, was wounded. On seeing the wounded comrade and realising the necessity of silencing the fire, Grenadier Bajrang Singh and Grenadier Gopal Singh charge the house and succeeded in silencing the automatic fire after killing one hostile. In the process Grenadier Bajrang Singh was hit by a burst of automatic fire sustaining severe wounds, inspite of which he continued to fire at the hostiles. As a result of his undaunted counteraction, the heavily armed hostiles were unnerved and fled in confusion. Grenadier Bajrang Singh later succumbed to his injuries.

Grenadier Bajrang Singh thus displayed conspicuous courage, exceptional bravery and devotion to duty of a high order.

6. Colonel Narinder Kumar (IC-6729), PVSM, AVSM,
Infantry.
(Effective date of Award : 2nd July, 1981.)

In the spring of 1981, the Army organised an expedition to the SIACHEN GLACIER, the world's longest non-polar glacier in the centre of the Himalayas and Eastern Karakoram. A rugged 40 Kilometres from SASOMA, up the NUBRA VALLEY lies the snout of SIACHEN and another 80 Kilometres of treacherous traverse up the Glacier is its source, the INDIRA COL, which is on the watershed between Central Asia and the Indian sub continent. The Army Karakorams expedition of 150 personnel under the leadership of Colonel Narinder Kumar, PVSM, AVSM, the renowned mountaineer, lasted about three from the 28th May, 1981 to the 18th August, 1981.

Negotiating the rugged and forbidding icy terrain, the Ski team reached INDIRA COL and reconnoitred all the passes in the SIACHEN basin. SIA KANGRI was one of the first peaks scaled by the team. The last 700 feet to the peak rose in the form of steep icy cliff. The first assault on the peak had failed. Displaying glacial coolness and undauted spirit and unwindful of the risk to his life, Colonel Narinder Kumar single handedly negotiated the sheet face of the ice of 100 feet stretch and threw down the rope for the team to come up. This act of exemplary leadership resulted in the ascent of the peak.

After the ascent of INDIRA COL, on 2nd July, 1981, one of the team members suffered from high altitude sickness at a height of 19,000 feet. Medical aid was available as far as 20 Kilometres away. Braving a gale, innumerable crevasses and precariously thin snow bridge, the leader personally evacuated the sick by sledge and saved his life.

In the ascent of SALTORO KANGRI (25,400 feet), Colonel Kumar established another landmark of team spirit, leadership and professional mountaineering. After two abortive attempts at the summit, the party was badly mauled by high altitude sickness. However, Colonel Kumar refused to surrender to the mighty mountain and succeeded in conquering the peak on the 2nd August 1981.

Colonel Narinder Kumar thus displayed conspicuous bravery, exemplary leadership and exceptional courage.

7. 13735590 Lance Naik Ravi Singh
JAK Rifles.
(Effective date of Award : 6th July, 1981)

On the 6th July, 1981, Lance Naik Ravi Singh was a member of a column which had been launched to engage extremists in an area in the Central district of Manipur. During the operation, Lance Naik Ravi Singh was directed to capture a fleeing extremist who was later identified as the leader of the extremist organisation. When Lance Naik Ravi Singh was chasing the extremist, he was fired upon with automatic weapons from point blank range. With utter disregard to his personal safety, Lance Naik Ravi Singh killed one extremist and captured the leader of the organisation alive.

Lance Naik Ravi Singh thus displayed conspicuous gallantry, courage and exceptional devotion to duty.

8. Lieutenant Colonel Rama Prasad Singh (IC-14287N),
JAK Rifles.
(Effective date of Award : 6th July, 1981)

On 27th June, 1981, the responsibilities to check insurgency in an area in the Central district of Manipur was entrusted to an Infantry Battalion, commanded by Lt Col Rama Prasad Sinh. By establishing an efficient intelligence net-work, Lt Col Rama Prasad Sinh elicited information about the activities of the extremists in the area of operation. On the 6th July, 1981, he received information about certain armed hostiles frequenting a certain area. With the approval of the General Officer Commanding, Lieutenant Colonel Rama Prasad planned to launch a special operation on that night. However, during the later part of the day, he received information regarding movement of some suspected extremists in a different part of the area. Appreciating the urgency, Lieutenant Colonel Rama Prasad Sinh decided to launch the operation during the day and immediately despatched a company column at 1430 hours under Second Lieutenant Cyrus Addie Pithawalla. Thereafter he collected some more troops and led them personally cross country through marshy terrain, to direct the operation himself. At about 1800 hours while he was still 2 Kms away from the objective, he heard sounds of firing and immediately rushed to cordon of the area. On reaching the area of operation, he found that Second Lieutenant Cyrus Addie Pithawalla was injured and one notorious extremist had been captured and four others killed in the encounter. Unmindful of his personal safety, Lt Col Rama Prasad Sinh, approached close to the other extremists, who were still firing, and asked for their surrender. Finding no response and continued resistance from the extremists, he personally directed and led search of the area. In the entire operation, two extremists were captured alive and seven others killed and a large quantity of arms and ammunition captured.

In this action Lieutenant Colonel Rama Prasad Sinh displayed leadership, initiative, exceptional devotion to duty.

9. FLIGHT LIEUTENANT SANKARA IYER CHANDRASEKHAR (13436) (Posthumous) ADMINISTRATIVE.
(Effective date of Award : 21st November, 1981)

On the 21st November, 1981, Flight Lieutenant Sankara Iyer Chandrasekhar (13436) Administrative, was proceeding by train on his annual leave to Madras by Lucknow-Jhansi Express and was travelling in a First Class compartment along with three other co-passengers. At about 2330 hours when the train was between Malana and Lalpur railway stations (59 Kms from Kanpur), four armed robbers forced their way into their compartment. One of the passengers was stabbed. Awakened by the disturbance and responding immediately to the victim's cries for help Flight Lieutenant Chandrasekhar jumped down from his, berth and grappled with the armed robbers while simultaneously attempting to pull the alarm chain. At this stage, one of the intruders shot the officer on his right temple at close range with a country made revolver killing him on the spot. Immediately thereafter, the armed robbers escaped under the cover of darkness without inflicting any further injury to the other passengers.

The circumstances under which Flight Lieutenant Chandrasekhar gave his life were obviously such that only a person with abundant courage and steeped in the highest traditions of Service before self could respond in the manner he did. Knowing fully well that he was facing a group of desparados

armed with lethal weapons, and unhesitating in using them, the officer reacted with reflexes of a well trained and disciplined member of the Air Force.

During the entire episode the Flight Lieutenant Sankara Peter Chandrasekhar displayed conspicuous bravery and courage of the highest order and laid down his life in the best traditions of the Indian Air Force.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.
to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 3rd April 1982

No. 10/1/82-CS.II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Grade C of the Central Secretariat Stenographers Service, Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B), Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers Service to be held by the Staff Selection Commission in 1982, are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of the vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution Dadra and Nagar Haveli, Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. *Conditions of eligibility*.—Any permanent or temporary regularly appointed officer, belonging to Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service Railway Board Secretariat Stenographers Service who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in his service only i.e. Grade D Stenographers of the Central Secretariat Stenographers Service will be eligible for vacancies in Grade C of the Service, Grade III Stenographers of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for vacancies in Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B), the Grade D Stenographers of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and the Grade 'D' Stenographers of the Railway Board Secretariat Stenographers Service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

(a) *Length of service*—He should have, on the crucial date i.e. on 1-1-1982 rendered not less than three years' approved and continuous service in Grade D or grade III of the Service.

NOTE :—Grade D officers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority, and those having a lien in Grade D or grade III of the Central Secretariat Stenographer's Service/Stenographers Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

Provided that if he had been appointed to Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Grade 'D' of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Grade III of the Stenographers' Sub-cadre of the Indian Foreign Service (B)/Grade 'D' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service on the results of the competitive examination including a limited departmental competitive examination, the results of such examination should have been announced not less than three years before the crucial date and he should have rendered not less than two years, approved and continuous service in the Grade.

(b) *Age*—He should not be more than 50 years of age on the 1st January 1982 i.e. he must not have been born earlier than 2nd January 1932.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January 1964 (but before 26th March 1971);

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a bona-fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January 1964 (but before 26th March 1971);

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian Origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin

from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations, during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations, during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July 1975; and

(xv) upto a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July 1975.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

(d) Stenography Test-Unless exempted from passing the Commission's Stenography Test for the purpose of confirmation or continuance in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers Service, he should have passed the test on or before the date of notification of the examination.

NOTE :—Grade D or Grade III Stenographers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade D/Grade III of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer and does not have a lien in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

8. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

9. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission, in four separate lists, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified in the examination shall be recommended for inclusion in the Select Lists of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service, Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B), Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service upto the required number.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the General Standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in Select Lists or Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for Grade C/Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service, Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) and Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service on the results of the examination is entirely, within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of performance in this examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

1. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

12. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment in the Central Secretariat Stenographers' Service or Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway

Board Secretariat Stenographers' Service or otherwise quits the Service or severes his connection with it, or whose services are terminated by his department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' service or Grade III of Stenographers' sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Grade D of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX

The subjects of the written examination and the maximum marks for each subjects will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	*Time allowed*	*Maximum marks*
(i) General English	1½ hours	50
(ii) Essay	1½ hours	50
(iii) General Knowledge	3 hours	100

Part B—SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST), 200 Marks.

NOTE :—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

Part C—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers (ii) Essay and (iii) General Knowledge, either in Hindi or in English and the medium opted (i.e. Hindi or English) should be the same for both the papers mentioned above. Candidates who opt to answer both these papers in Hindi will be required to take the shorthand tests also in Hindi and those who opt to take them in English will be required to take the shorthand tests also in English. Paper (i) General English must be answered by all the Candidates in English.

NOTE-1—Candidates desirous of exercising the option to answer papers on (ii) Essay and (iii) General Knowledge of the written test and take Shorthand tests in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in Col. 6 of the application form otherwise it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand Test in English.

The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be ordinarily entertained.

NOTE 2—Candidates who opt to take the shorthand test in Hindi will be required to learn English Stenography, and vice versa after their appointment.

NOTE 3—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

NOTE 4—No credit will be given for answer written or shorthand test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART-A

Standard and syllabus of the written test.

NOTE :—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English.—The paper will be designed to test the candidate's knowledge of English Grammar and Composition and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement of general expression and workmanlike use of the language. The paper may include questions on precis writing, drafting, correct use of words, essay, idioms and prepositions, direct and indirect speech, etc.

Essay.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, current events everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates, answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART—B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Test in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRI. & COOP.)

New Delhi, the 11th March 1982

RESOLUTION

No. 22-1/81-LDT.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 21-1/77-LDT dated 16-1-1979 and subsequent amendments issued from time to time, the Government of India have decided to reconstitute the Gosamvardhana Advisory Council for a further period of three years with effect from 1st January, 1981.

Composition of Gosamvardhana Advisory Council

Composition of the reconstituted Council will be as follows :

Chairman

1. Minister of Agriculture & Rural Reconstruction, Krishi Bhavan, New Delhi.

Vice-Chairman

2. Minister of State (Agriculture and Rural Reconstruction), Krishi Bhavan New Delhi.

Members

1. Secretary, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi.
2. Additional Secretary (CCT), Ministry of Agriculture (Deptt of Agri. & Coop.), New Delhi.
3. Joint Secretary (DD), Ministry of Agriculture, (Deptt. of Agri & Coop.), Krishi Bhavan, New Delhi
4. Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture (Deptt. of Agri. & Coop.), Krishi Bhavan, New Delhi.
5. Deputy Director General (AS), Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi.
6. One representative of Ministry of Rural Reconstruction, Krishi Bhavan, New Delhi.
7. Director of Animal Husbandry, Govt. of Kerala, Trivandrum.
8. Director of Animal Husbandry, Government of Jammu & Kashmir, Jammu.
9. Director of Animal Husbandry, Government of Himachal Pradesh, Simla.
10. Director of Animal Husbandry, Government of Bihar, Patna.

[Nomination from the State Governments (Director of Animal Husbandry and/Veterinary Services S. No. 7-10) is to be by rotation each year].

One nominated representative each from the following Institutions :

11. Chairman, National Dairy Development Board, Anand.
12. Secretary, Bharatiya Agro-Industries Foundation. Urlikanchan (Maharashtra).
13. The Secretary, Serve Sewa Sangh, Gopuri, Wardha (Maharashtra)
14. The Secretary, State Federation of Goshala & Pinjrapoles, Ahmedabad (Gujarat).
15. The Secretary, Akhil Bhartiya Goshala Sangh, Chandralok, Jaipur (Rajasthan).
16. The Secretary, Goshala Sangh, Madhya Pradesh, Bhopal.
17. The Secretary, State Goshala Pinjrapoles Federation, Sadacat Ashram, Patna (Bihar).
18. The Secretary, Andhra Pradesh State Federation of Goshalas & Pinjrapoles, 4-1-363, Hanuman Takdi, Hyderabad, (AP).
19. The General Secretary, Akhil Bharat Gau Sanrakshan Parishad, S.C.F. 42, Sector 30-C, Chandigarh.
20. The Secretary, Rajasthan Goseva Sangh, Bikaner (Rajasthan).
21. The Secretary, Pashchim Bang Krishi Gosewa Sangh, Calcutta.
22. The Secretary, Karnataka Dakshin Bharat Krishi Gosewa Sangh, Bangalore.
23. Shri Rani Singh, Manager, Shri Dayanand Gaushala, Rampura, Rewari (Haryana).
24. Swami Yogeshwar Videhi Hari Ji President, Akhil Bhartiya Gau Sanrakshan Parishad, Sanatan Dharam Mandir, Ashok Nagar, Delhi.

Members

25. Swami Bheesham Ji, Bheesham Bhavan, Gharonda, Distt. Karnal (Haryana).
26. Shri Bal Vijay, Secretary to Acharya Vinoba Bhave, Paunar Ashram, Sevagram, Distt. Wardha (Maharashtra).
27. Shri N. S S. Manraadiar, I.D/3, College Road, Madras-6.
28. & 29. Two Members of Parliament, one each from the two Houses.

Member-Secretary

30. Joint Commissioner (LP), Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi.

ORDER

1. Ordered that a copy of Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Departments of Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat and other concerned organisations.
2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. S. KOHLI, Addl. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th March 1982

RESOLUTION

No. ERB-1/81/21/41.—The Government of India have decided to appoint Shri H. C. Sarin as Chairman, Railway Reforms Committee set up in terms of their resolution of even number dated 12-5-1981, *vice* Shri B. D. Pande, resigned.

HIMMAT SINGH, Secy.
Railway Board & ex-officio Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982